संशोधित

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), सम्भल।

पत्रांक – 26 /सा0प्र0/अधि0/स0सु0/2020 दिनांक – 19 जून 2020

–: अधिसूचना :–

चूंकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा– 112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

और जहां उक्त अधिनियम की धारा– 112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली– 1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा(1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या– 1377 दिनांक 06. 04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या– 59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम– 178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्भल जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तलिकानुसार निर्धारित की जाती है :–

Scanned by CamScanner

क्र0 सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी।	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर/ थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्रीयान
1	2	3	4	5	6	7
1	सम्भल से बहजोई मार्ग– एस0एच0 18	हयातनगर से मुजफ्फरपुर	40 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	50 कि0मी0 प्रति घंण्टा
2	सम्भल से बहजोई मार्ग– एस0एच0 18	धुरैटा से पवांसा	40 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	50 कि0मी0 प्रति घंण्टा
3	सम्भल से बहजोई मार्ग– एस0एच0 18	अतरासी से भवन बाजार	40 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	50 कि0मी0 प्रति घंण्टा
4	बहजोई से इस्लामनगर– एस0एच0 18	एंग्लोवेदिक स्कूल, बहजोई से नसरूल्लापुर/ मिर्जापुर	40 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	50 कि0मी0 प्रति घंण्टा
5	सम्भल से चन्दौसी– एम0डी0आर0 59	टांडा से सरथलखेडा	40 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	50 कि0मी0 प्रति घंण्टा
6	सम्भल से चन्दौसी– एम0डी0आर0 59	सरथल से नरौली	40 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	50 कि0मी0 प्रति घंण्टा
7	बहजोई से चन्दौसी – एन0एच0 509	लहरावन से अचलपुर	40 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	50 कि0मी0 प्रति घंण्टा
8	बहजोई से चन्दौसी – एन0एच0 509	चन्दौसी से सिम्स कॉलेज	40 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	50 कि0मी0 प्रति घंण्टा
9	बहजोई से चन्दौसी – एन0एच0 509	मझांवली से मील चौराहा	40 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	50 कि0मी0 प्रति घंण्टा
10	चन्दौसी से बदायूँ– एस0 एच0 43	चन्दौसी से बालाजी कोल्ड स्टोर	40 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	50 कि0मी0 प्रति घंण्टा
11	बहजोई से नरौरा पुल – एन0एच0 509	बहजोई से खजरा खाकम	40 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	50 कि0मी0 प्रति घंण्टा

Scanned by CamScanner

क्र0 सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी।	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर/ थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्रीयान
1	2	3	4	5	6	7
12	बहजोई से नरौरा पुल – एन0एच0 509	पाठकपुर से भिरावटी	40 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	50 कि0मी0 प्रति घंण्टा
13	बहजोई से नरौरा पुल – एन0एच0 509	भिरावटी से धनारी	40 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	50 कि0मी0 प्रति घंण्टा
14	बहजोई से नरौरा पुल – एन0एच0 509	भकरौली से कैल	40 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	50 कि0मी0 प्रति घंण्टा
15	बहजोई से नरौरा पुल – एन0एच0 509	नूरंपुर तिराहा से बबराला	40 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	50 कि0मी0 प्रति घंण्टा
16	बहजोई से नरौरा पुल – एन0एच0 509	बबराला मंडी से हीरापुर इटौआ	40 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	50 कि0मी0 प्रति घंण्टा
17	नेहरू चौक, गुन्नौर से कादराबाद, बदायूँ रोड– एस0 एच0 18	जुनावई से सैजना मुस्लिम	40 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	50 कि0मी0 प्रति घंण्टा
18	नेहरू चौक, गुन्नौर से कादराबाद, बदायूँ रोड– एस0 एच0 18	वैरपुर से कादराबाद	40 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	50 कि0मी0 प्रति घंण्टा
19	बबराला से गवां रोड– एम0डी0आर0 162	रजपुरा से केसरपुर तिराहा	40 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	50 कि0मी0 प्रति घंण्टा
20	सम्भल से गवां– एम0डी0आर0 162	टी प्वांइट से गंगापुल, अनूपशहर रोड।	40 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	50 कि0मी0 प्रति घंण्टा
21	सम्भल से गवां– एम0डी0आर0 93	खिरनी तिराहा से सौंधन	40 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	50 कि0मी0 प्रति घंण्टा
22	सम्भल से हसनपुर– एस0एच0 51	सिंहपुर से देहपा	40 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	50 कि0मी0 प्रति घंण्टा
23	सम्भल से जोया– एम0डी0आर0 157	असमोली से मनोटा पुल	40 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	50 कि0मी0 प्रति घंण्टा
24	सम्भल से मुरादाबाद– एम0डी0आर0 59	फिरोजपुर से सिरसी	40 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	60 कि0मी0 प्रति घंण्टा	50 कि0मी0 प्रति घंण्टा

Scanned by CamScanner

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबंधित निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा–

1. मोटर अधिनियम, 1988 की धारा– 116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनो छोर– प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह– जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार सम्बन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके लिये रेट्रो– रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।
2. उक्त प्रतिबन्धित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा –
   अ) अग्नि शमन वाहन
   ब) एम्बुलेंस
   स) पुलिस वाहन
   द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।
   य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त वाहन।
3. उपरोक्त तालिका के कॉलम– 3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा– 112 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक 06.04.2018, समय– समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

(अम्ब्रीश कुमार)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन), सम्भल।

पत्रांक– 26 /सा0प्र0/अधि0/स0सु0/2020 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
3– जिलाधिकारी, सम्भल।
4– पुलिस अधीक्षक, सम्भल।
5– अपर परिवहन आयुक्त(स0सु0), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6– उप परिवहन आयुक्त, बरेली परिक्षेत्र, बरेली।
7– सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मुरादाबाद।
8– अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सम्भल को इस आशय से प्रेषित कि अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले मार्गों पर उपरोक्तानुसार गति निबन्धन सम्बन्धी बोर्ड प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
9– सम्पादकः– दैनिक जागरण/अमर उजाला/हिन्दुस्तान को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को अपने दैनिक समाचार पत्रों में जनहित में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
10– राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले मार्गों पर उपरोक्तानुसार गति निबन्धन सम्बन्धी बोर्ड प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

19/06/20

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन), सम्भल।

Scanned by CamScanner